न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

राजस्व विविध : 24/2020
जी.सी.एम.एस. : 2020/00240

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली		किशोर कुमार पुत्र रगाराम, जाति मेहत्तर, निवासी खिवांदी, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से सुरेन्द्र सिंह लबाना
अप्रार्थी की ओर से मोहम्मद शरीफ काजी

–: निर्णय :–

दिनांक:– 8/12/21

तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के उसके हक में दिनांक 13.2.2013 को ग्राम खिवांदी खसरा नंबर 820/7 रकबा 0.30 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमी का आवंटन किया गया जिसे निरस्त कराने हेतु पेश किया है। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं मूल आवंटन रेकर्ड मंगवाया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वक्त बहस सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि अप्रार्थी किशोर कुमार पुत्र रगाराम, जाति मेहत्तर निवासी खिवान्दी तहसील सुमेरपुर को उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा दिनांक 13.2.2013 को ग्राम खिवांदी के खसरा नंबर 820/7 रकबा 0.30 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमी का आवंटन किया गया तथा अप्रार्थी को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1424 के गैर खातेदार दर्ज किया गया। आवंटी अथवा उसके वारिसान का आवंटित भूमी पर आदिनांक तक कब्जा काश्त नहीं है उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवंटित उपरोक्त आराजी पर प्रार्थी का उक्त खसरा नंबर पर कब्जा काश्त नहीं है उक्त भूमी पर जोगाराम पुत्र जेटाराम भील का कब्जा है। आवंटन के लिए आवेदन पत्र पर नियम 8(1–क) के अनुसार विवाहित कृषक को पति पत्नी दोनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत करना होता है। जबकि अप्रार्थी द्वारा अकेले ही आवेदन किया गया है पत्रावली संलग्न नकल गिरदावरी संवत 2073–76 के अनुसार आवंटित आराजी पर कब्जा नहीं होना स्पष्ट है जबकि खातेदारी अधिकार प्राप्त करने बाबत नियम 18(4) के अनुसार आवंटी को प्रथम वर्ष के 50 प्रतिशत भूमी पर तथा दूसरे वर्ष में शेष क्षेत्र की भूमी पर भी काश्त करनी होती है जो नही की गई है इस लिए आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटी को कब्जा 1 माह में नही देने पर श्रीमान के समक्ष कब्जा प्राप्ति हेतु आवेदन करना चाहिए था जो वक्त आवंटन सन् 2013 से आज तक नहीं किया गया है अतः आवंटी को किया गया उक्त आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन नियमों की पालना की गई है। तथा प्रार्थी द्वारा काश्त की जाने पर भी काश्त दर्ज नहीं की गई है। उक्त भूमी हरिजन समाज के व्यक्ति को आंवटित की जाने से तहसीलदार महोदय व पटवारी हल्का पर दबाव बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश करवाया गया है तथा उक्त आवंटन खारिज करवाकर अन्य व्यक्ति को आवंटित करवाने पर आमादा है अतः उक्त प्रार्थना पत्र को निरस्त फरमाया जाकर आवंटन को यथावत रखा जाने का आदेश फरमावे।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया आंवटी ने दिनांक 13.2.2013 को राजस्थान भू [illegible] आवंटन) नियम 1970 के तहत किया गया था उक्त आवंटन ग्राम [illegible] हल्का खिवांदी के खसरा नंबर 820/7 रकबा 0.30 [illegible] आवंटन किया गया था उक्त आराजी पर आवं[illegible] कब्जा काश्त न[illegible] जो पत्रावली संलग्न नकल गिरदावरी संवत 2073–76 [illegible] स्पष्ट है उपखण्ड अ[illegible] सुमेरपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवंटित भूमी पर अन्य व्यक्ति का कब्जा है। तथा आवंटी

क्रमशः.............. 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:40:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

को प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमी पर काश्त करनी होती है तथा शेष भूमी पर द्वितीय वर्ष में करनी होती है लेकिन गिरदावरी अनुसार भूमी पड़त है आवंटी का कब्जा काश्त आदिनांक तक नहीं है आवंटी को आंवटन के एक माह में कब्जा प्राप्त करना होता है अगर कब्जा नहीं दिया गया तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 1 माह के बाद प्रार्थना पत्र कब्जा प्राप्ति हेतु पेश करना था जो नहीं किया गया है उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के पत्रांक/राजस्व/2021/915 दिनांक 30.9.2021 के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजी पर अन्य व्यक्ति जोगाराम पुत्र जेटाराम भील का कब्जा है। इससे स्पष्ट है कि आवंटित आराजी पर आवंटी द्वारा कब्जा काश्त एवं कृषि नहीं कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है अतः आवंटन निरस्त किया जाना विधिसम्मत है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार सुमेरपुर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आवंटी अप्रार्थी किशोर कुमार पुत्र रगाराम, जाति मेहत्तर निवासी खिवांदी तहसील सुमेरपुर के पक्ष में दिनांक 13.2.2013 को ग्राम खिवांदी पटवार हल्का खिवांदी के खसरा नंबर 820/7 रकबा 0.30 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमी का आंवटन उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा किया गया उसे निरस्त किया जाता है एवं आराजी को पुनः राज्य सरकार के हक में सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 8/12/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:40:04 IST
Reason: SelfAttested